

18-09-17

आमि लेशन उपस्थापित । समय पल
 उपस्थित । समय पल की ओर से
 एक समुक्त आवेदन न्यायालय में दिया
 गया है कि उक्त वाद में समय पल
 के बीच गांव के प्रबुद्ध नागरिकों एवं गणमान्य
 व्यक्तियों के समक्ष आपसी सुलह हो गया
 है। यह कि शमीणी के बीच उपयपत्ती
 में सुलह हो गया है । पर कि अब
 अब समय पल के बीच किसी भी प्रकार
 का शान्ति भंग होने की सम्भावना नहीं है।
 अतः समय पल की ओर से दाखिल
 श्लेहानामा को स्वीकृत किया जाय ।

समय पल द्वारा न्यायालय में दिये
 गए श्लेहानामा आवेदन को स्वीकृत
 किया जाता है। अतः वाद में आमि लेशन
 की कारवाही बन्द की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

कार्यपालक दण्डाधिकारी
 बुध (रांची)

18/9/17
 कार्यपालक दण्डाधिकारी
 बुध (रांची)